न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंता, जिला बारां (राज.)
बउनवान लक्ष्मी सुमन बनाम कैलाश चंद, फौजदारी विविध प्रकरण संख्या–264/2024,
अंतर्गत धारा–144(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023,
प्रार्थना पत्र वास्ते अंतरिम भरण पोषण राशि दिलाये जाने बाबत्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.04.2026	प्रार्थीया लक्ष्मी सुमन मय अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार सुमन न्यायालय समक्ष उपस्थित। अप्रार्थी कैलाश चंद की ओर से अधिवक्ता श्री पुनीत कुमार नंदवाना न्यायालय समक्ष उपस्थित। दिनांक 25.07.2024 को, प्रार्थीया द्वारा न्यायालय समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 विरूद्ध अप्रार्थी, पेश किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र के संलग्न में, प्रार्थीया की ओर से हस्तगत प्रार्थना पत्र, वास्ते अंतरिम भरण पोषण राशि न्यायालय समक्ष पेश किया गया था। संक्षिप्त में, प्रार्थीया लक्ष्मी सुमन का, अप्रार्थी कैलाश चंद से दिनांक 09.05.2022 को हिंदू रीति रिवाज अनुसार, कृष्णा मैरिज गार्डन, अंता में विवाह संपन्न हुआ था। उक्त विवाह से, प्रार्थीया ने दिनांक 18.03.2023 को एक पुत्र जय सुमन को जन्म दिया था। प्रार्थीया के अनुसार, विवाह के दो तीन माह तक तो अप्रार्थी ने उसे, सही से रखा, परंतु इसके पश्चात् अप्रार्थी द्वारा, उससे दहेजस्वरूप एक लाख रूपये एवं मोटरसाईकिल की मांग की जाने लगी तथा मांग की पूर्ति ना होने पर, प्रार्थीया के साथ क्रूरता कारित की जाने लगी। पुत्र जन्म के दो माह पश्चात्, जब यह ज्ञात हुआ कि प्रार्थीया के पुत्र के सिर में पानी है तो अप्रार्थी द्वारा, ईलाज कराने से मना कर दिया गया, कई मन्नतों के पश्चात् अप्रार्थी, प्रार्थीया को बच्चे के ईलाज हेतु जोधपुर लेकर गया, परंतु ईलाज में अप्रार्थी द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया। प्रार्थीया द्वारा, अप्रार्थी के विरूद्ध दहेज प्रताड़ना का केस, पुलिस थाना अंता में दर्ज कराया गया था, जिसके पश्चात् परिजनों की समझाईश पर, प्रार्थीया एवं अप्रार्थी के मध्य राजीनामा हो गया था, परंतु उसके पश्चात् भी अप्रार्थी ने, प्रार्थीया से कहा कि वह दहेज की पूर्ति ना होने तक, बच्चे का ईलाज नहीं करवायेगा। प्रार्थीया के पास, आजीविका का कोई स्त्रोत नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर, प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी से, हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से, स्वयं के लिये एवं अपने पुत्र के लिये, आठ–आठ हजार रूपये कुल सोलह हजार रूपये अंतरिम भरण पोषण राशि दिलाये जाने का निवेदन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में, प्रार्थीया द्वारा स्वयं का शपथ पत्र भी पेश किया गया। अप्रार्थी कैलाशचंद द्वारा, अपने जवाब प्रार्थना पत्र में विवाह एवं पुत्र के जंम के तथ्य को तो स्वीकार किया है, परंतु इस तथ्य का पूर्णतया खंडन किया गया है कि उसके द्वारा, प्रार्थीया से कभी दहेज की मांग की गयी हो या प्रार्थीया के साथ कोई क्रूरता कारित की गयी हो। यह कि अप्रार्थी ने, अपने पुत्र के ईलाज में कोई कमी नहीं की। प्रार्थीया शिक्षित महिला है, जो कि सिलाई बुनाई का कार्य जानती है तथा सात आठ हजार रूपये कमा लेती है। वहीं अप्रार्थी, मेहनत मजदूरी कर बमुश्किल तीन चार हजार रूपये कमा पाता है। प्रार्थीया, जब गर्भवती हुयी थी, तब उसने घर के कामों में हाथ बॅटानें से मना कर दिया था तथा पीहर जाने के पश्चात्, वह स्वयं वापिस ससुराल नहीं जाती थी तथा प्रार्थीया को समझाने के बाद भी, वह किसी की नहीं सुनती थी। ..... **2 पर**	

दौराने बहस, अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा, प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति कर, न्यायालय से निवेदन किया गया कि दौराने प्रकरण, प्रार्थीया के पुत्र जय सुमन का देहांत हो गया है। प्रार्थीया को जीवनयापन में घोर असुविधा हो रही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, वांछित भरण पोषण राशि दिलायी जावें। वहीं, अप्रार्थी की ओर से दौराने बहस, अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति कर, न्यायालय से निवेदन किया गया कि प्रार्थीया किसी अनुतोष की अधिकारी नहीं है।

बहस वास्ते दिलाये जाने अंतरिम भरण पोषण राशि प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी। उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पक्षकारों द्वारा, न्यायालय समक्ष पेश आय संबंधी शपथ पत्र का भी अवलोकन किया गया।

हस्तगत प्रकरण में, प्रार्थीया एवं अप्रार्थी के मध्य विवाह होना एक स्वीकृत तथ्य है। हस्तगत प्रार्थना पत्र, धारा 144(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से संबंधित है, जिसका उद्देश्य निराश्रित महिलाओं को संरक्षण प्रदान करना है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 08.12.2025 को उभय पक्षकारों के मध्य समझाईश की गयी थी, जिस पर प्रार्थीया ने, अप्रार्थी के साथ घर जाने को अपनी स्वीकृति प्रकट की थी, परंतु अप्रार्थी ने, उसे ले जाने से इंकार कर दिया था। हस्तगत प्रकरण में, प्रार्थीया एवं अप्रार्थी के मध्य संबंध सही नहीं रहे है। प्रार्थीया द्वारा, हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व, अप्रार्थी के विरूद्ध दहेज प्रताड़ना का केस भी दर्ज कराया गया था। इस स्तर पर, प्रकरण के गुण एवं अवगुण पर, टिप्पणी किये बिना यह प्रथमदृष्ट्या प्रतीत होता है कि अप्रार्थी कैलाशचंद द्वारा, अपनी पत्नी प्रार्थीया लक्ष्मी सुमन के प्रति उत्तरदायित्वों, पर्याप्त साधन होने के पश्चात् भी, निर्वहन नहीं किया गया है।

अप्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने जो तर्क दिये हैं, वह साक्ष्य के मोहताज हैं और वह परिप्रश्न, मूल प्रकरण में ही निस्तारित होंगे। पति का यह वैधानिक एवं सामाजिक दायित्व है कि वह, अपनी पत्नी का समुचित रुप से भरण–पोषण करें। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थिया को, अप्रार्थी से अन्तरिम भरण पोषण राशि दिलाया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

उभय पक्षकारों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये, वर्तमान मंहगाई की दर को तथा न्यूनतम मजदूरी की दरों को ध्यान में रखते हुए, इस स्टेज पर, न्यायालय द्वारा, प्रार्थीया को 4,000/–रुपये (अक्षरेः चार हजार रुपये) प्रतिमाह की दर से राशि अन्तरिम भरण पोषण के तौर पर दिलाया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतएव प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत अंतरिम भरण पोषण भत्ता प्राप्ति का यह प्रार्थना पत्र, विरुद्ध अप्रार्थी कैलाशचंद, एतद्अनुसार स्वीकार किया जाकर, अप्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि वह अंतरिम भरण पोषण भत्ता का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, प्रस्तुत होने की दिनांक 25.07.2024 से ताफैसला मूल प्रकरण, प्रार्थीया को 4,000/–रुपये (अक्षरेः राशि चार हजार रुपये) प्रतिमाह की दर से, अंतरिम भरण पोषण राशि की अदायगी करें। इस आदेश के अधीन अदा की गई राशि, मूल प्रार्थना पत्र में पारित आदेश के अध्याधीन रहेगी। पत्रावली फैसलशुमार होकर, मूल पत्रावली के साथ शामिल रहें।

(सिद्धांत शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंता, जिला बारां (राज.